an>

Title: Need to review the norms for environmental sanction for brick kiln industry in Rajasthan.

श्री ओम बिरला (कोटा) : राजस्थान के बूंदी सहित विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, भोपाल द्वारा ईंट भट्टे बंद करने के आदेश् दिए हैं, जबकि इस तरह के मैदानी भट्टे भोपाल में भी चालू हैं। भू-राजस्व के नियम 5क के अनुसार 1500 हजार वर्ग मीटर से छोटे ईंट भट्टों को उक्त प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है किन्तु राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, भोपाल द्वारा जारी आदेश से स्थानीय जिला प्रशासन में भ्रम की स्थिति है और उनके द्वारा क्षेत्र में ईंट भट्टों को बन्द कराने की कार्रवाई की जा रही है। इस कारण राज्य के कम्हार-प्रजापित समाज का बड़ा वर्ग अपने पुश्तैनी धन्धे से विमुख होकर बेरोजगार होने की कगार पर है।

गौरतलब है कि खनिज विभाग द्वारा 1990 में बनाया गया एक्ट स्पष्ट दर्शाता है कि मिट्टी के बर्तन व आवाकजावा प्रक्रिया से पकाई जाने वाली ईंट व केतू बनाने के लिए जिसमें चिमनी का प्रयोग नहीं हो, को अनुमत किया हुआ है।

ईंटों की खुदाई का कार्य और प्रकृति पर्यावरण प्रभाव आंकलन के मानदण्डों के योग्य नहीं होता और ईंट भट्टों को अपने अपने राज्यों से पर्यावरणीय स्वीकृति भी प्राप्त होती रही है। अक्टूबर 2012 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की ओर से एक आरटीआई के उत्तर में पुष्टि की गई है कि चले या साधारण मिट्टी की खुदाई के लिए केन्द्रीय सरकार की ओर से पर्यावरणीय स्वीकृति अपेक्षित नहीं है। ईंट उद्योग से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और राज्य सरकारों के लिए राजस्व का सृजन होता है।

मैं सरकार से ईंट उद्योग में कार्य बहाल होना सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं।